



2026:AHC:24796

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2717 / 2026

लाल सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : मयंक शेखर सिंह, विजय नारायण

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

1. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 (उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील सदर, जनपद प्रयागराज) को यह निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत वाद संख्या 13392/2021, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T2022102030613392 (लाल सिंह बनाम श्रीमती ज्योति अग्रवाल एवं अन्य) में उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मौके पर कार्यन्वित करें।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि याची प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील सदर, जनपद प्रयागराज के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करता है, तो वह उक्त मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका याची को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपनी सभी शिकायतों को स्पष्ट करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याची ऐसा करता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः उसके छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलेन

“Translated,

Corrected & Authenticated by me”

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”